


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1086]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938

No. 1086]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/VAISAKHA 14, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

का.आ.1645(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (4)के अनुसार माननीय न्यायमूर्ति श्री नाजमी वजीरी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाले अधिकरण, जिसे इस बारे में न्याय-निर्णयन करने हेतु कि क्या संगम अर्थात् नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (खापलांग) [एन एस सी एन (के)] को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं, के आदेश को सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[सं. 11011/45/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

अनुबंध

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण, नई दिल्ली

16 मार्च, 2016 को आरक्षित

निर्णय की तारीख : 18 मार्च, 2016

के मामले में : नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री नाजमी वजीरी

उपस्थित :

उपस्थित :

श्री संजय जैन, ए एस जी श्री कीर्तिमान सिंह, सी जी एस सी, श्री अनुराग अहलुवालिया, सी जी एस सी और श्री प्रशांत घई, केन्द्र सरकार/भारत संघ के लिए वकील के साथ

श्री मनोज ओहरी, वरिष्ठ वकील, श्री नवाब सिंह और श्री सिद्धार्थ कलीता, अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए वकील के साथ
 श्री सपम बिश्वजीत, मैदती, मणिपुर राज्य के वकील, सुश्री बी. खुशबंसी के साथ
 श्री विक्रमजीत बनर्जी, नागालैंड राज्य का महाधिवक्ता, नागालैंड राज्य के वकील सुश्री के. एनेटोली सेमा के साथ
 श्री पी.के. उप्पल, रजिस्ट्रार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

आदेश

1. भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, केन्द्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यहां इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 3 की उप धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल सोशललिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [यहां इसके बाद एन एस सी एन (के) के रूप में निर्दिष्ट] को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया है।
2. यह अधिकरण संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना, जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई, के माध्यम से यह न्याय-निर्णयन करने के लिए गठित किया गया था कि क्या एन एस सी एन (के) ['प्रतिबंधित संगठन] को अधिनियम के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। दिनांक 27 अक्टूबर, 2015 की उपर्युक्त अधिसूचना के लिए एक शुद्धि-पत्र दिनांक 06.11.2015 को जारी की गई।

नोटिस की तामिल

3. अधिकरण की प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 26.11.2015 को आयोजित की गई, प्रतिबंधित संगठन को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर यह कारण बताने के लिए कहा गया कि क्यों न उसे विधिविरुद्ध घोषित कर दिया जाना चाहिए। नोटिस को निम्नलिखित तरीके से तामिल किए जाने का निदेश दिया गया:
 - i. संगम के कार्यालय (यों), यदि कोई है, के कुछ महत्वपूर्ण भाग पर अधिसूचना की प्रति चिपकाकर;
 - ii. संगम के प्रमुख पदाधिकारियों, यदि कोई है, को यथासंभव अधिसूचना की प्रति तामिल करके;
 - iii. उस क्षेत्र, जहां संगम के क्रियाकलाप सामान्यतया होते हैं, में अधिसूचना की विषय-वस्तु के बारे में ड्रम बजाकर या लाउड स्पीकरों के माध्यम से घोषणा करके;
 - iv. आकाशवाणी के स्थानीय या नजदीकी प्रसारण केन्द्र से रेडियो पर उद्घोषणा करके;
 - v. राज्य के प्रत्येक जिले के मुख्यालय में उपायुक्त के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचना को चिपकाकर; तथा
 - vi. संबंधित राज्यों, जिसमें एन एस सी एन (के) के क्रियाकलाप सामान्यतया होते हैं, के एक स्थानीय समाचार पत्र और अंग्रेजी के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करके।
4. इस अधिकरण के दिनांक 26.11.2015 के आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित संगठन पर तामिल के शपथ-पत्र को भारत संघ की ओर से तथा मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश राज्यों द्वारा तथा बाद में नागालैंड राज्य द्वारा भी इस बारे में दायर किया गया कि नोटिस सम्यक रूप से तामिल किया गया था। अधिकरण ने नोटिस तामिल करने के लिए उठाए गए व्यापक कदमों पर विचार किया था तथा यह निष्कर्ष निकाला था कि एन एस सी एन (के) पर नोटिस सम्यक रूप से तामिल किया गया था। चूंकि एन एस सी एन (के) के लिए कोई अधिकरण के समक्ष हाजिर नहीं हुआ, इसलिए दिनांक 20.01.2016 को एकपक्षीय रूप से कार्यवाही की गई।

पृष्ठभूमि

5. अधिसूचना के अनुसार, एन एस सी एन (के) को प्रतिबंधित करने का कारण यह है कि इस संगठन ने नागालैंड तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हथियारबंद पृथकतावादी संगठनों के साथ मिलकर भारत संघ के कतिपय भू-भागों को अलग करके भारत-म्यांमार के नागा निवासी क्षेत्रों को शामिल करके एक संप्रभु नागालैंड सृजित करने के अपने उद्देश्य की घोषणा की है। केन्द्र सरकार का यह मत है कि एन एस सी एन (के.) :
 - (i) एक पृथक राज्य प्राप्त करने के अपने उद्देश्यको प्राप्त करने के लिए भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय एकता को भंग करने के आशय वाली या भंग करने वाली अवैध तथा हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहा है;
 - (ii) एक पृथक राज्य प्राप्त करने के अपने उद्देश्यको प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर भारत के अन्य भूमिगत संगठनों के साथ अपना गठबंधन कर रहा है;
 - (iii) भारत सरकार, नागालैंड, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश सरकारों के प्राधिकार को चुनौती देते हुए विधिविरुद्ध तथा हिंसक गतिविधियों में और लोगों के मध्य आतंक और डर फैलाने में संलिप्त रहा है;

- (iv) अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों के वित्तपोषण तथा निष्पादन के उद्देश्य से समाज के विभिन्न वर्गों से जबरन धन वसूली में संलिप्त रहा है;
- (v) अपनी पृथकतावादी गतिविधियों को चलाने के लिए देश की सीमा के पार शिविर तथा छिपने के ठिकाने स्थापित कर रहा है;
6. भारत सरकार की यह राय भी है कि एन एस सी एन (के) की हिंसक एवं विधिविरुद्ध गतिविधियों में ये शामिल हैं:-
- (i) कोहिमा जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम के निकट असम राइफल्स के 19 कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए 26 मार्च, 2015 को चार असम राइफल्स कार्मिकों को जख्मी करना;
- (ii) 26 मार्च, 2015 को लोक निर्माण विभाग कॉलोनी, बोखा शहर, जिला बोखा में बम विस्फोट द्वारा चार नागरिकों को घायल करना;
- (iii) असम राइफल्स के सात जवान मारे गए एवं नौ घायल हुए, तोबु पुलिस थाने, जिला मोन के अंतर्गत चांगलांगशु ग्राम में दिनांक 3 मार्च, 2005 को नागा प्रादेशिक सेना (टेरिटरियल आर्मी) का एक सुरक्षा कर्मी भी घात लगाकर किए गए हमले में मारा गया; और
- (iv) चांगलांग जिला के उप मंडल जैराम के अंतर्गत 6 फरवरी, 2015 को भारत-म्यांमार सीमा पर 14वें असम राइफल्स का एक सुरक्षा कर्मी मारा गया और दो कुली भी गंभीर रूप से घायल हुए।
7. एन एस सी एन (के) घोषित उद्देश्य तथा हिंसक एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि एन एस सी एन (के) के उपर्युक्त क्रियाकलाप देश की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए नुकसान दायक हैं। केन्द्र सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि एन एस सी एन (के) के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तुरंत रोक एवं नियंत्रण नहीं लगता है तो यह संगठन नए भर्तियां करने, हिंसक आतंकवादी एवं पृथकतावादी क्रियाकलापों में संलिप्त रहने, निधियां एकत्र करने तथा निर्दोष नागरिकों तथा सुरक्षा बल कार्मिकों की जिंदगियों को खतरे में डालने के कार्य को जारी रख सकते हैं और यह कि इसे तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना चाहिए। इसलिए, एन एस सी एन (के) को अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया। अब अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत इस अधिकरण को यह निर्धारित करना है कि क्या घोषणा की पुष्टि की जाए या नहीं।
8. इस अधिसूचना के साथ केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किया गया एक पृष्ठभूमि नोट है जिसमें एन एस सी एन (के) को प्रतिबंधित करने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, पृष्ठभूमि तथा उनके तथ्यात्मक कारण दिए गए हैं।
9. प्रतिबंधित संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसका गठन 31 जनवरी, 1980 को किया गया था, का एक गुट है। यह अप्रैल, 1988 में दो समूहों में बंट गया अर्थात् इसाक स्क्व एवं टी.एच. मुइवाह के नेतृत्व में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवाह) [एन एस सी एन (आई/एम)] तथा एस एस खापलांग, एक म्यामारी नागा तथा खोलेकोनायक के नेतृत्व में एन एस सी एन (के)। एन सी एन (आई/एम) ने भारत सरकार के साथ एक अनिश्चित युद्ध विराम करार किया और दिनांक 28.04.2001 को भारत सरकार तथा एन एस सी एन (के) के साथ भी एक पृथक करार किया गया जिसको आवधिक रूप से नवीकृत किया गया। किंतु दिनांक 27.3.2015 को उक्त संगठन ने एकपक्षीय रूप से युद्ध विराम करार को रद्द कर दिया तथा हिंसक विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त हो गया जिसके परिणामस्वरूप, एन एस सी एन (के) नरमपंथी नेताओं द्वारा एक नये गुट अर्थात् एन एस सी एन (सुधार) का गठन हुआ। तथापि, प्रतिबंधित संगठन एन एस सी एन (के) हिंसक एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त रहा, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप, इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया।
10. केन्द्रीय सरकार के अनुसार, एन एस सी एन (के) हिंसक क्रियाकलापों के प्रति कटिबद्ध है; इसकी हिंसक स्थिति युद्ध विराम के रद्द होने के बाद हिंसक क्रियाकलापों से स्पष्ट होती है जिसमें उत्तर पुलिस थाना कोहिमा के अंतर्गत इन्दिरागांधी स्टेडियम के पास चौदहवें असम राइफल्स के कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शामिल है जिसमें असम राइफल्स के चार कार्मिक घायल हुए। उसी दिन बोखा टाउन पुलिस थाना, जिला बोखा के अंतर्गत पी डब्ल्यू डी कालोनी में एक बम धमाका किया गया जिसमें चार सिविलियन घायल हुए। इन कृतियों से पता चलता है कि एन एस सी एन (के) ने भारत सरकार के साथ युद्ध विराम को रद्द करने के लिए अग्रिम रूप में तैयारी कर ली थी। एन एस सी एन (के) निकी सूमी, इसके स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में भारत-म्यांमार सीमा से अपने काडरों को मोबिलाइज करने की प्रक्रिया में है। एन एस सी एन (के) संदिग्ध काडरों ने विरोधी समूहों के नेताओं और काडरों तथा कोहिमा, दीनापुर तथा मकोकचुंग में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हमले सहित सुरक्षा बलों के विरुद्ध बड़े हमले शुरू किए हैं। भारत सरकार की अप्रैल, 2015 की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, एन एस सी एन (के) के 130 काडर, असम राइफल्स के कार्मिकों तथा लोंगवा गांव, फोमचिंग पुलिस थाने, मोन जिले में उनके चौकियों पर हमला करने के आशय से भारत-म्यांमार सीमा पर कैम्प कर रहे थे, जबकि एन एस सी एन (के) के 30-40 काडरों का एक अन्य हथियारबंद समूह म्यांमार में श्रॉलो स्थित इसके सामान्य मुख्यालय से मोन जिले में चेतमोहो की ओर अग्रसर होता पाया गया। यह सरकार की राय है कि एन एस सी एन (के) अन्य

विधिविरुद्ध समूहों अर्थात् यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) तथा कोरकाम (मणिपुर के छः मैतेयी भूमिगत समूहों का एक बड़ा समूह), विशेषकर, म्यांमार में उनके बेसों में सहायता प्रदान करता है और उन्हें आश्रय देता रहा है। ये गुट एन एस सी एन (के) इस निर्णय के पक्ष में थे कि युद्ध विराम को रद्द किया जाए तथा म्यांमार क्षेत्र के सभी भूमिगत समूहों से अनुरोध किया जाए कि वे भारत गणराज्य के विरुद्ध उसी राह एवं युद्ध का अनुकरण करें। उनके बेसों में इन सभी गुटों तथा कोरकाम में एन एस सी एन (के) द्वारा युद्ध विराम को रद्द किए जाने के निर्णय का स्वागत किया तथा क्षेत्र के सभी भूमिगत समूहों से अनुरोध किया कि वे एक साथ लड़ने के भारत के दुर्भावनापूर्ण इरादे से बाहर आने के लिए उसी राह का अनुकरण करें। पृष्ठभूमि नोट के अनुसार, एन एस सी एन (के) के म्यांमार में मोमखो, खामलावो, लुंगलांग, नगियाचांग/न्यांगचिंग, गानियो जनरल एरिया, लाहे, काचीन सब डिविजन, सगोट, लहबाँन, लिगलीनकान, मेमांग, तोन्यू एवं टागा क्षेत्र आदि में अवस्थित विभिन्न शिविरों में काफी डिअटैचमेंट है। सरकार ने यह भी सूचित किया है कि चीन के निर्देश पर विभिन्न पूर्वोत्तर विद्रोही समूहों ने एन एस सी एन (के) के स्वयंभू अध्यक्ष, एस एस खापलांग के नेतृत्व में रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट का गठन करने के लिए म्यांमार में अप्रैल, 2015 में बैठक की तथा इस गुट ने भारत में हथियारों की तस्करी की और पूर्वोत्तर में विशेषकर, सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हिंसा तेज की। ऐसे क्षेत्र, जहां एन एस सी एन (के) सक्रिय है, में भारत-म्यांमार सीमा, नागालैंड केदीमापुर, मोन, लांगलेंग, फेक, किफिरे, जूनहेबोटो तथा कोहिमा जिले, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लांगडिंग और तीरप जिले तथा मणिपुर के तमैंगलांग और सेनापति जिले के भाग शामिल हैं। एन एस सी एन (के) कैडर की तफरी लगभग 700-800 है जिसके पास रॉकेट लांचर आदि सहित अत्याधुनिक हथियार हैं। एस एस खापलांग, निकी सूमी और इसके मुख्य नेता वर्तमान में म्यांमार में हैं। पृष्ठभूमि रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि एन एस सी एन (के) का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत के भागों और म्यांमार के कुछ भागों को अलग करके भारत-म्यांमार क्षेत्र के नागा बहुल क्षेत्रों को शामिल करके एक सम्प्रभू नागालैंड सृजित करना है जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है। इसके अतिरिक्त, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह सरकार के प्राधिकार की अनदेखी करते हुए विधिविरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों में संलिप्त है तथा लोगों में आतंक और डर फैला रहा है। विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- I. एक पृथक राज्य का निर्माण करने के लिए इसने स्वयं को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा), द नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) तथा कोरकोम (मणिपुर के 6 मैतेई यू.जी. समूहों का दल) के साथ मिला लिया है;
- II. यह व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों एवं आम नागरिकों से जबरन धन वसूली करता है। इसके अतिरिक्त, पृथक राज्य का निर्माण करने के अपने उद्देश्य से वित्तपोषण तथा अपनी योजनाओं के निष्पादन हेतु वे फिरौती के लिए लोगों का अपहरण करते हैं।
- III. अपनी आतंकवादी एवं विद्रोही गतिविधियों को जारी रखने के लिए नए काडरों की भर्ती हेतु इन्होंने एक भर्ती मुहिम जारी कर रखी है;
- IV. देश की सीमाओं पर अपनी पृथकतावादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इसने शिविर एवं छिपने के ठिकाने बनाए हैं;
- V. पृथक राज्य के सृजन के लिए चलाए जा रहे अपने संघर्ष में ये अन्य देशों में शस्त्रों एवं अन्य प्रकार की सहायता की प्राप्ति के लिए भारत-रोधी ताकतों से सहायता प्राप्त कर रहा है।

11. सरकारी सूचना के अनुसार एन एस सी एन (के) अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों को जारी रखे हुए है। इन गतिविधियों को तुरंत नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है; अन्यथा विधिविरुद्ध संगम इस स्थिति का नाजायज़ फायदा उठाकर भारत की सुरक्षा के लिए अहितकर शत्रु विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र-रोधी एवं विधिविरुद्ध गतिविधियों के प्रचार सहित पृथकतावादी एवं हिंसक गतिविधियों को तीव्र करने के लिए अपने काडरों को जुटा सकते हैं। सरकार की यह राय है कि यदि इन विधिविरुद्ध गतिविधियों को तुरंत रोकना न गया और एन एस सी एन (के) को विधिविरुद्ध संगम घोषित नहीं किया गया तो इससे इस संगठन को पृथकतावादी एवं राष्ट्र-रोधी ताकतों को एकत्र करने तथा अपने संगठन को और अधिक पुख्ता बनाने की स्वतंत्रता मिल जाएगी जिससे पुलिस, विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा सुरक्षा बलों को इस संगठन के काडरों को पकड़ने तथा उन पर अभियोजन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार का यह मूल्यांकन मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश सरकार, रक्षा मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, के.रि.पु.ब. तथा सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित है जिनमें से सभी ने इस संगम को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने की सिफारिश की है।

साक्ष्य

12. दिनांक 20.01.2016 तथा 01.03.2016 के आदेशों के अनुसार, भारत संघ, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर राज्यों की ओर से दिनांक 11 एवं 12 फरवरी, 2016 को गंगटोक में साक्ष्य दर्ज किए गए तथा इन पक्षों के शेष साक्ष्यों एवं नागालैंड राज्य की ओर से साक्ष्य

को दिनांक 8, 9 एवं 11 मार्च, 2016 को नमसाई में दर्ज किया गया ताकि प्रतिबंध के पक्ष एवं विपक्ष में भारी संख्या में लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हो सकें तथा यदि अपेक्षित हो तो एन एस सी एन (के) को कार्यवाहियों में भाग लेने का अवसर दिया जा सके।

13. अरुणाचल प्रदेश राज्य ने निम्नलिखित साक्ष्यों से ए पी 1 एवं ए पी 2 के रूप में गंगटोक में तथा ए पी 3 एवं ए पी 4 से नमसाई में पूछताछ की:

- (i) ए पी-1 - डॉ. तारिक थॉमस, आई ए एस, विशेष सचिव (गृह), अरुणाचल प्रदेश सरकार, अरुणाचल प्रदेश, सिविल सचिवालय, इटानगर
- (ii) ए पी-2 - श्री अमित शर्मा, पुलिस अधीक्षक, चांगलांग जिला, अरुणाचल प्रदेश
- (iii) ए पी-3 - श्री जसमीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, तिरप जिला, अरुणाचल प्रदेश
- (iv) ए पी-4 - श्री जसमीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, लांगडिंग जिला, अरुणाचल प्रदेश

14. ए पी 1, डॉ. तारिक थॉमस ने यह बयान दिया है कि एन एस सी एन (के) निरंतर विधिविरुद्ध गतिविधियों में लगा हुआ है जो नागरिकों की सुरक्षा तथा भारत की एकता के लिए अहितकर है तथा संगठन पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता को दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन्होंने बयान दिया है कि एन एस सी एन (के) जबरन धन वसूली, अपहरण, फिरौती के लिए व्यपहरण, कर का अवैध तरीके से संग्रहण तथा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मेघालय के विभिन्न भागों में वार्षिक कर, सेवा कर तथा ग्राम कर लगाने जैसी गतिविधियों में संलिप्त है। भारतीय सुरक्षा बलों के विरुद्ध अत्याधुनिक हथियारों के साथ इसके द्वारा छुप कर किए गए हिंसक हमलों, स्थानीय युवाओं को गुमराह करके उनकी अवैध रूप से भर्ती तथा कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना, ताकि सामाजिक अशांति की स्थिति उत्पन्न की जा सके; निर्वाचन प्रक्रिया में इसके द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा हस्तक्षेप; अपनी अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए तथा भारतीय युवाओं के शोषण के लिए मादक पदार्थों की तस्करी तथा/ अथवा नशीले पदार्थों की तस्करी में स्थानीय युवकों को शामिल करना/अथवा नशीले पदार्थों पर उनकी निर्भरता का लाभ उठाना; भारत-म्यांमार सीमा पर शस्त्रों एवं गोलाबारूद की तस्करी के लिए इन युवाओं को शामिल करना तथा भारतीय गणतंत्र के विरुद्ध प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना; भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी एवं अन्य विद्रोही संगठनों के साथ इसका संबंध तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट, साऊथ, ईस्ट एशिया (यू एन एल एफ डब्ल्यू) नामक एक क्षेत्र संगठन का गठन; अरुणाचल प्रदेश में रंगफरा जैसे स्वदेशी धार्मिक समूहों पर इसके द्वारा किए जा रहे हमले तथा अन्य विद्रोही समूहों के साथ इसके झगड़े जिसकी वजह से क्षेत्र के निवासियों के बीच असंतोष एवं डर की भावना उत्पन्न होने के साथ-साथ सामान्य जीवन भी अस्त-व्यस्त होता है तथा वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों में तथा क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, से यह पता चलता है कि एन एस सी एन (के) विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियों में संलिप्त है। अतः इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अभिसाक्षी ने आगे यह बताया कि वर्ष 2013 में एन एस सी एन (के) 200 मामलों में संलिप्त था। इसी प्रकार, वर्ष 2014-15 में उक्त आंकड़े क्रमशः 168 तथा 150 थे।

15. इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि एन एस सी एन (के) का उद्देश्य नागालैंड स्वायत्त राज्य के गठन हेतु भारत के कुछ भागों को अलग करना है। यह विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने के लिए हिंसक गतिविधियों का सहारा लेता है। इसकी गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता के लिए प्रत्यक्ष खतरा हैं। ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता तथा इन्हें तत्काल कड़ाई से नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने ऐसा मत व्यक्त किया कि यदि इस संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो यह संगठन अपने कम तीव्रता वाले युद्ध को जारी रखते हुए भारत के विरुद्ध विधिविरुद्ध गतिविधियों में शामिल होता रहेगा, अतः प्रतिबंध की पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है।

16. ए पी-2 श्री अमित शर्मा ने बयान दिया कि एन एस सी एन (के) द्वारा विधिविरुद्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है जिनका विवरण इसके साथ संलग्न अनुलग्नकों के साथ पठित शपथ-पत्र में देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें उल्लिखित चार एफ आई आर में एन एस सी एन (के) के द्वारा की जा रही विधिविरुद्ध गतिविधियों तथा इसके साथ स्वयं जुड़े काडरों की गतिविधियों के विरुद्ध अभियोजन आदेश पारित कर दिए गए हैं जिनमें से एक पुलिस थाना जयरामपुर तथा तीन पुलिस थाना चांगलांग में दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि एन एस सी एन (के) अभी भी सक्रिय है तथा विधिविरुद्ध गतिविधियों तथा हिंसक गतिविधियों में शामिल है और सरकार के प्राधिकार को चुनौती देते हुए लोगों के बीच आतंक फैला रहा है जिससे सामान्य जीवन में पर्याप्त बाधाएं आती हैं। ऐसी आपराधिक गतिविधियों की वजह से उनके विरुद्ध विभिन्न पुलिस थानों में कई मामले दर्ज किए गए हैं तथा समय-समय पर एन एस सी एन (के) के काडरों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने बताया कि संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन्होंने बयान दिया कि केस डायरियों से स्पष्ट हो जाएगा कि एन एस सी एन (के) संगठन तथा इसके सदस्यों की गतिविधियां हिंसक एवं राष्ट्र विरोधी हैं तथा इन्हें प्रत्येक स्तर पर नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनका यह मानना था कि इस संगठन की गतिविधियों की वजह से राज्य में रह रहे लोगों के बीच अशांति एवं भय का माहौल बना हुआ है तथा यह आगे भी जारी रहेगा।

17. श्री जसमीत सिंह, जिनका जिला तिरप में ए पी-3 के रूप में बयान दर्ज है तथा ए पी-4 जिनका बयान लांगडिंग जिले में दर्ज है, ने बयान दिया है कि एन एस सी एन (के) विधिविरुद्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने अभिकरण के समक्ष 22 एफ आई आर प्रस्तुत कीं जिनमें तिरप जिले में उनके द्वारा की गई विधिविरुद्ध गतिविधियां शामिल हैं उनके शपथ-पत्र में प्रतिबंधित संगठन द्वारा वर्ष 2013 से 2015 के दौरान की गई असंख्य विधिविरुद्ध गतिविधियों की सूची दी गई है जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं भी शामिल हैं जहां असम राइफल्स द्वारा प्रतिबंधित संगठन के काडरों को अनधिकृत हथियार एवं गोलाबारूद सहित गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ काडर अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने आगे बताया कि इन विधिविरुद्ध गतिविधियों के संबंध में आज तक 22 आरोप-पत्र दायर किए जा चुके हैं; और ऐसी अनेक घटनाएं हुईं जिनमें भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान भारी गोलीबारी हुई जिसके परिणामस्वरूप प्रतिबंधित संगठन के कुछ सदस्य मारे गए तथा उनसे भारी मात्रा में घातक हथियार बरामद किए गए और उन्हें न्यायिक आदेशों के अनुसार नष्ट कर दिया गया; तथा एक घटना विशेष के दौरान दिनांक 9.6.2015 को प्रातः 2.45 मिनट पर असम राइफल्स के सुरक्षा कार्मिकों के शिविर पर हमला किया गया, विधिविरुद्ध काडरों से **स्वापक पदार्थ** रिकवर किए गए। उन्होंने बयान दिया कि प्रतिबंधित संगठन ने लोगों के बीच असंतोष पैदा किया तथा उनके मन में भय उत्पन्न करके सामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त किया। इन परिस्थितियों में उनकी यह राय थी कि उक्त संगठन पर प्रतिबंध की पुष्टि की जानी चाहिए।

18. मणिपुर राज्य ने मणिपुर-1 से मणिपुर-4 के रूप में क्रमबद्ध 5 गवाहों से पूछताछ की:

- (i) मणिपुर-1 – श्री रेहानुद्दीन चौधरी, संयुक्त सचिव (गृह), मणिपुर सरकार, इम्फाल
- (ii) मणिपुर-2 – लहुनखोहावो तहोयोबुम, जो फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक, कंगपोकपी सेनापति, जिला, मणिपुर के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- (iii) मणिपुर-3 – श्री पाउखोमांग जोऊ एन डी वसीरुद्दीन, जो फिलहाल मणिपुर में उप पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- (iv) मणिपुर-4 -श्री एन डी वसीरुद्दीन, जो फिलहाल मणिपुर में उप पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- (v) मणिपुर-5- (गलती से जिन्हें मणिपुर - 4 के रूप में क्रमांकित किया गया है) – श्री एम डी अनवर हुसैन, जो फिलहाल मणिपुर में उप पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

19. मणिपुर-1, श्री रेहानुद्दीन चौधरी ने बयान दिया है कि एन एस सी एन (के) द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को अंजाम दिया गया है जिनका विवरण अनुलग्नकों के साथ पठित शपथ-पत्र में दिया गया है। उनके शपथ-पत्रों के अनुलग्नक राज्य के सुरक्षा कार्मिकों तथा अन्य आसूचना एजेंसियों से प्राप्त इनपुट पर आधारित हैं तथा उन्होंने ऐसी अनेक घटनाओं की सूची दी है जिनमें प्रतिबंधित संगठन के विरुद्ध वर्ष 2012 से 2016 के दौरान मामले दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में प्रति वर्ष एन एस सी एन (के) के विरुद्ध 22 एफ आई आर दर्ज की गई; दिनांक 01.01.2015 से 31.07.2015 के दौरान 21 एफ आई आर उनके विरुद्ध दर्ज की गई; एन एस सी एन (के) की गतिविधियों में बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियां शामिल हैं जो सरकार की सत्ता क्षति पहुंचाती हैं, लोगों के बीच आतंक फैलाकर सामान्य जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती हैं। उन्होंने बताया कि उनका अनुभव उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यदि संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया गया तो वे भारत के विरुद्ध अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों को और तीव्र कर देंगे अतः प्रतिबंध की पुष्टि की जानी चाहिए।

20. मणिपुर-2, श्री खुपलेन लहोयुवम ने बयान दिया कि एन एस सी एन (के) द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप किए जा रहे हैं जिनका विवरण अनुलग्नकों के साथ पठित शपथ-पत्र में दिया गया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 23.06.2015 को 10 असम राइफल्स से सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 23 जून, 2015 को दोपहर 12.10 बजे सपोमीना पुलिस थाने से एक जांच दल रवाना हुआ तथा इसे कच्चा नाला पर छः शत्रु पड़े मिले। उस स्थल से शस्त्र एवं गोलाबारूद बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि एन एस सी एन (के) की गतिविधियों में बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियां शामिल हैं जो सरकार के प्राधिकार को चुनौती देती हैं, लोगों के बीच भय पैदा करके सामान्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं; तथा केस डायरियों से पता चलता है कि संगठन तथा इसके साक्ष्यों की गतिविधियां हिंसक एवं राष्ट्र विरोधी हैं तथा इन्हें प्रत्येक स्तर पर नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी राय में, यदि संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो वे भारत के खिलाफ कम तीव्रता वाले विधिविरुद्ध कार्यकलापों में संलिप्त रहेंगे और इस कारण से प्रतिबंध की पुष्टि की जानी चाहिए।

21. मणिपुर-3, श्री पावखोमांग झाऊ ने बयान दिया कि एन एस सी एन (के) द्वारा विधिविरुद्ध कार्यकलापों को अंजाम दिया जा रहा है, जिनका अनुलग्नकों के साथ पठित उनके हलफनामे में विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके हलफनामे में प्रतिबंधित संगठन द्वारा अंजाम दी गई घटनाओं की प्राथमिकियां (एफ आई आर) शामिल हैं। हथियार एवं गोलाबारूद सहित उनके काडरों को 23 असम राइफल्स के सुरक्षा कार्मिकों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि एन एस सी एन (के) के कार्यकलापों में बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध एवं हिंसा की गतिविधियां शामिल हैं, जो सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाती हैं, लोगों के बीच आतंक फैलाती हैं और सामान्य जीवन जी रहे लोगों के सामने एक बड़ी बाधा का कारण बनती हैं; और यह भी कि, केस-डायरी यह दर्शाती हैं कि उक्त संगठन

और इसके सदस्यों की गतिविधियां हिंसक और राष्ट्र विरोधी हैं तथा इन्हें हर स्तर पर दबाया जाना आवश्यक है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह दर्शाने के पर्याप्त सबूत हैं कि यदि इस संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, तो वे भारत के खिलाफ कम तीव्रता वाले विधिविरुद्ध कार्यक्रमों में संलिप्त रहेंगे और इस कारण से प्रतिबंध की पुष्टि की जानी चाहिए।

22. मणिपुर-4, श्री एम डी बसीरुद्दीन ने बयान दिया है कि एन एस सी एन (के) द्वारा विधिविरुद्ध गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन अनुलग्नकों के साथ पठित उनके हलफनामे में किया गया है। उन्होंने एक घटना को संदर्भित किया जिसमें प्रतिबंधित संगठन के तीन व्यक्तियों को 10 असम राइफल्स के सुरक्षा कार्मिकों द्वारा दिनांक 18.09.2013 या इसके आसपास गिरफ्तार किया गया था। उनके हलफनामे में, प्रतिबंधित संगठन द्वारा अंजाम दी गई घटनाओं की प्राथमिकियां (एफ आई आर) शामिल हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि एन एस सी एन (के) की गतिविधियों में बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियां शामिल हैं, जो सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाती हैं, लोगों के बीच भय फैलाती हैं और सामान्य जीवन जी रहे लोगों के प्रति अत्यधिक बाधा खड़ी करती हैं; यह कि केस डायरियां यह दर्शाती हैं कि उक्त संगठन और इसके सदस्यों की गतिविधियां हिंसक और राष्ट्र विरोधी हैं तथा इन्हें हर स्तर पर दबाने की जरूरत है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह उनकी राय है कि यदि इस संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तो वे भारत के विरुद्ध कम तीव्रता वाली विधिविरुद्ध कार्रवाइयों में संलिप्त रहेंगे और इसलिए प्रतिबंध की पुष्टि की जानी चाहिए।

23. मणिपुर-5, श्री मो.अनवर हुसैन, ने बयान दिया कि एन एस सी एन (के) द्वारा विधिविरुद्ध गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिनका अनुलग्नकों सहित उनके हलफनामे में वर्णन किया गया है। उनके हलफनामे, जिसे 01 फरवरी, 2016 को ओथ-कमिश्नर के समक्ष सत्यापित किया गया था, के समर्थन में एक प्राथमिकी (एफ आईआर) है, जो कुछेक हथियारबंद भूमिगत तत्वों, जिनका उद्देश्य हानिकार गतिविधियों और जन सामान्य के बीच लूट खसोट को अंजाम देना था, की मौजूदगी के संबंध में 22 ग्रेनेडियर से प्राप्त सूचना और जानकारी के आधार पर पंजीकृत की गई थी। एक व्यक्ति को अनाधिकृत आग्नेयास्त्र रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था; उसने आम लोगों से जबरन धन उगाही की थी तथा वह एक जगह से दूसरी जगह तक हथियारों और गोलाबारूद के लाने-ले जाने के कार्य में भी संलिप्त था। उन्होंने बताया कि एन एस सी एन (के) की गतिविधियों में बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध और हिंसक गतिविधियां शामिल हैं, जो सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाती हैं, लोगों के बीच आतंक फैलाती हैं और सामान्य जीवन जी रहे लोगों के समक्ष अत्यधिक बाधा का कारण बनती हैं; और यह कि केस डायरियां यह दर्शाती हैं कि उक्त संगठन और इसके सदस्यों की गतिविधियां हिंसक और राष्ट्र विरोधी हैं और इन्हें हर स्तर पर दबाया जाना जरूरी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनकी राय में यदि इस संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो वे लगातार भारत के विरुद्ध कम तीव्रता वाली विधिविरुद्ध कार्रवाइयों में संलिप्त रहेंगे और इसलिए प्रतिबंध की पुष्टि की जानी चाहिए।

24. नागालैंड राज्य ने पुलिस मुख्यालय, कोहिमा, नागालैंड में पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) श्री तोसित्सुंग्वा आयर की नागालैंड-1 के रूप में शिलांग में छानबीन की।

25. नागालैंड-1 श्री तोसित्सुंग्वा आयर ने बयान दिया वर्ष 2013 से 2015 के बीच उक्त प्रतिबंधित संगठन ने 53 विधिविरुद्ध गतिविधियों को अंजाम दिया और उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन कार्यवाहियों के अंतिम निर्णयन में अधिकरण द्वारा इन गतिविधियों को विचारार्थ शामिल करना चाहिए।

26. केन्द्र सरकार ने सुश्री नीता गुप्ता, उप सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की यू ओ आई-1 के रूप में गंगटोक में छानबीन की।

27. भारत संघ की ओर से सुश्री नीता गुप्ता, उप सचिव, भारत सरकार ने बयान दिया कि एन एस सी एन (के) के उद्देश्यों/लक्ष्यों और हिंसक गतिविधियों के संबंध में अधिकरण को प्रस्तुत किए सारांश को अभिलेखों और अभिलेखों में उपलब्ध जानकारियों के आधार पर उनके द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने तत्संबंधी विषय-वस्तु को दोहराया। उन्होंने आगे कहा कि नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (खापलांग) अभी भी विधिविरुद्ध गतिविधियों में सतत रूप से संलिप्त है, जो कि नागरिकों की सुरक्षा और भारत की एकता के लिए खतरनाक हैं और यह कि अभिलेखों में इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उक्त संगठन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। सरकारी अभिलेखों और आसूचना एजेंसियों तथा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर, उनका विश्वास है कि यदि इस संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो वे भारत के विरुद्ध कम तीव्रता वाले संघर्ष में सतत रूप से संलिप्त रहेंगे। इसलिए, इस संगठन को प्रतिबंधित करने की जरूरत है।

28. सभी अभिसाधियों ने एन एस सी एन (के) द्वारा लोगों के बीच आतंक पैदा करने; नागालैंड तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों से हाथ मिलाकर, भारत-म्यांमार के नागा आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करते हुए इसे भारत संघ से अलग करके एक संप्रभु नागालैंड सृजित करने के एक चरम उद्देश्य के साथ नागरिक अशांति और सरकारी मशीनरी को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड राज्यों के विभिन्न हिस्सों में विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहने संबंधी बयान दिए।

29. ए पी-1 और ए पी-3 ने अपने इस बयान के समर्थन में, कि एन एस सी एन (के) विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त था, सामग्री सहित सीलबंद लिफाफे सौंपे हैं। इस रिपोर्ट में रॉ, सीमा सुरक्षा बल, आसूचना ब्यूरो तथा रक्षा मंत्रालय से प्राप्त पृथक जानकारियां शामिल हैं। इन लिफाफों को खोला गया, पढ़ा गया और पुनः सीलबंद किया गया। इसे रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

30. उपर्युक्त साक्षियों के बयानों को कोई चुनौती नहीं दी गई क्योंकि साक्षियों से जिरह करने हेतु एन एस सी एन (के) की ओर से कोई भी आगे नहीं आया, चूंकि एन एस सी एन (के) एकपक्षीय बना रहा, इसलिए किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की।

बहस

31. नागालैंड राज्य की ओर से श्री विक्रमजीत बनर्जी, एडवोकेट ने यह प्रस्तुत किया कि एन एस सी एन (के) से संबद्ध समस्या के शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान खोजने संबंधी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने विशेष रूप से नागालैंड के रेजीडेंट कमिश्नर द्वारा दायर किए गए दिनांक 26.11.2015 के हलफनामे के पैरा-6 को संदर्भित किया, जिसमें दिनांक 04.05.2015 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल बैठक का संदर्भ है और जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हत्याओं और हिंसक कार्रवाईयों से कोई समाधान नहीं निकलेगा तथा केवल संवाद और बातचीत के जरिए ही स्थायी शांति का रास्ता निकाला जा सकता है। उन्होंने आगे दावा किया कि एन एस सी एन (के) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने की पृष्ठभूमि में दिनांक 11.06.2015 को मंत्रिमंडल की एक और बैठक आयोजित की गई थी और इस बात पर सहमति बनी थी कि नागा राजनीतिक मुद्दे के शांतिपूर्ण, सौहार्द्रपूर्ण और स्वीकार्य समाधान के हित में भारत सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि वह एन एस सी एन (के) के साथ युद्ध विराम की पुनर्स्थापना की संभावना खोजे।

32. उक्त हलफनामे का खंडन करते हुए श्री कीर्तिमान सिंह, भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल ने यह कहा कि रेजीडेंट कमिश्नर द्वारा दायर किया गया हलफनामा प्रतिबंधित संगठन द्वारा अंजाम दी जा रही विधिविरुद्ध गतिविधियों को संदर्भित नहीं करता है, अपितु यह मात्र राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिए गए अनुदेशों पर आधारित है। उनके अनुसार, यह विधिविरुद्ध संगठन द्वारा चलाई जा रही विधिविरुद्ध गतिविधियों की संख्या के खंडन के बजाए एक नीतिगत वक्तव्य ज्यादा है।

33. श्री संजय जैन, भारत के विद्वान अपर महान्यायवादी ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ तीन राज्य सरकारों से उपलब्ध कराए गए गहन साक्ष्य के मद्देनजर, प्रतिबंध को पुष्ट किया जाए। उन्होंने, विशेष रूप से, सुरक्षा कार्मिकों पर हुए हमले का हवाला दिया और कहा कि उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से आरंभ होकर नागालैंड राज्य के निचले पहुंच वाले भारत-म्यांमार सीमा के चारों ओर भारतीय भू-भाग में सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाने से अधिक कुछ भी और सोचनीय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठन लगातार और बार-बार, न केवल सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाने के लिए विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त है, अपितु लोगों के बीच आतंक और अशांति पैदा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त संगठन को विशेष रूप से, इसके अलगाववादी लक्ष्यों के चलते प्रतिबंधित करने की जरूरत है।

34. शांतिपूर्ण वार्ता सर्वोत्तम विकल्प हो सकता है, इस आशय के संबंध में नागालैंड राज्य की ओर से प्रस्तुत किए गए विवरणों के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है, जिसका अधिनियम की धारा-6के (ऑन्सटेटे) प्रावधान के मद्देनजर सरकारें हमेशा सहारा ले सकती हैं।

अधिनियम की धारा-6 में निम्नानुसार उल्लेख है :

"6. अधिसूचना के लागू करने तथा निरस्त करने की अवधि।

- 1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अध्यधीन, धारा-3 के अंतर्गत जारी की गई कोई भी अधिसूचना, यदि उसमें की गई घोषणा की धारा-4 के अंतर्गत अधिकरण के किसी आदेश द्वारा पुष्टि की जाती है, उसके प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।
- 2) उप-धारा (1) में किसी बात के अंतर्विष्ट होने के बावजूद केन्द्रीय सरकार, या तो स्वयं के अपने आवेदन पर अथवा किसी पीडित व्यक्ति के आवेदन पर, किसी भी समय, धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना निरस्त कर सकती है, चाहे उसमें की गई घोषणा की अधिकरण द्वारा पुष्टि की गई हो अथवा नहीं।"

35. उन्होंने आगे कहा कि यह अधिकरण, केवल रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने और इसके आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए है।

36. नागालैंड राज्य का साक्ष्य 9 मार्च, 2016 को रिकॉर्ड किया गया था। उक्त हलफनामे में प्रतिबंधित संगठन द्वारा अंजाम दी गई विधिविरुद्ध गतिविधियों की सूची है, जिसके अनुसार 50 मामले वर्ष 2013 के हैं, 51 मामले वर्ष 2014 के तथा 53 मामले 2015 के हैं। अभिसाक्षी ने कहा है कि प्रतिबंधित संगठन एन एस सी एन (के) नागालैंड राज्य में गंभीर विधिविरुद्ध कार्रवाईयों में लिप्त है तथा इन

गतिविधियों को कार्यवाही के अंतिम अधिनिर्णयन में विचारार्थ शामिल किया जाए। विधिविरुद्ध गतिविधियों की सूची के अनुसरण में यह पाया गया है कि उनमें से अधिकांश वारदात आयुध अधिनियम, जबरन धन वसूली, अपहरण, सुरक्षा कार्मिकों पर हमला, सामान्य जन जीवन में गड़बड़ी फैलाना, विधिविरुद्ध हथियार एवं गोलाबारूद जैसे- ए.के. 47 राइफलें, मैगजीन तथा जिंदा बुलेट गोलियां तथा अन्य घातक हथियारों के कारतूस, नागरिकों की हत्या करने और नागालैंड राज्य के गहन क्षेत्रों में भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला करने से जुड़ी हैं। अधिकरण का विचार है कि शांतिपूर्ण, सौहार्द्रपूर्ण और स्वीकार्य समाधान के हित में, प्रतिबंधित संगठन के साथ युद्ध विराम के लिए तलाशी जा रही वार्ता की संभावना सरकार के पास हमेशा उपलब्ध है, क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है। तथापि, इससे वर्तमान कार्यवाही के अधिनिर्णयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अधिकरण को केवल रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों को मद्देनजर रखना होता है।

37. मणिपुर राज्य की ओर से विद्वान काउंसेल श्री सपम विश्वजीत मैती ने अन्य बातों के साथ-साथ एक घटना विशेष का हवाला दिया, जो कि उनके अनुसार शायद भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले में से सबसे हिंसक हमला था। प्रतिबंधित संगठन ने चाण्डेल जिले की डोगरा रेजीमेंट पर हमला किया था, जिसमें उक्त प्रतिबंधित संगठन ने घातक हथियारों और राकेट लांचरों से हमला करके 18 भारतीय सुरक्षा कार्मिकों को मार डाला और 15 कार्मिकों को घायल कर दिया था।

38. अरुणाचल प्रदेश राज्य के विद्वत अधिवक्ता श्री मनोज ओहरी ने तिरप जिले के पुलिस अधीक्षक श्री जसमीत सिंह के शपथ पत्र का हवाला दिया और उल्लेख किया कि प्रतिबंधित संगठन के काडरों ने 10.03.2014 को तिरप जिले के चिंगकुई इलाके में असम राइफल्स के भारतीय सुरक्षा कार्मिकों पर हमला किया। इस हमले में जिसमें भारतीय सुरक्षा बल का एक सुरक्षा कर्मी शहीद हुआ, लाथोडबम, एके-56 राइफलें तथा लाइट मशीनगनों का इस्तेमाल किया गया था। प्रतिबंधित संगठन के काडरों द्वारा इसी तरह का हमला 13.04.2014 को रात्रि में 10.30 बजे किया गया था। इलाके में की गई छानबीन के दौरान प्रतिबंधित संगठन के काडरों से अनेक घातक हथियार बरामद हुए। अभिसाक्षी, श्री जसमीत सिंह ने, अपने शपथ-पत्र में, तिरप जिले में जन्त किए गए हथियारों की एक सूची उपलब्ध कराई है जो कि निम्नानुसार है:-

असाल्ट राइफलें	03
पिस्तौल	07
लीवर राउंड्स	221
फायर्ड कार्ट्रिजकेस	48
मैगजीन्स	3 मैगजींस
बम/ग्रेनेड	01 ग्रेनेड (चीन में निर्मित) 01लाथोड बम का फायर्ड शैल
जबरन वसूला गया धन	2 लाख (लगभग)
अफीम	280 ग्राम (लगभग)
जालीमुद्रा	220/- रु.
विविध	एक रेडियो सेट, एक जोड़ा कम्बैट पोशाक, एक मोटर साइकिल

तिरप जिले में एनएससीएन (के) के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों से संबंधित समेकित किए गए आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

जबरन वसूली	अपहरण	शस्त्र अधिनियम	विस्फोटक/ एनडीपीएस	सुरक्षा बलों पर घात/हमले	यूएपीएसीटी
06/13	16/14	11/13		22/13	05/15
09/13		84/13		13/14	एलएजेड्यू
24/13		08/14		39/14	
25/13				04/15 एलएजेड्यू	
39/13					
45/13					
54/13					

97/13					
44/14					
17/14					
डीएमएल					
33/14					
डीएमएल					
59/15					
02/15					
डीएडीएएम					
तेरह	एक	तीन	शून्य	चार	एक

39. अभिसाक्षी, श्री जसमीत सिंह ने अपने शपथ-पत्र में, लांगडिंग जिले में जब्त किए गए हथियारों की एक और सूची उपलब्ध कराई है, जो निम्नानुसार है :-

असाल्ट राइफल	03
पिस्तौल	10
जीवित राउंड	294 राउंड
फायर्ड कार्ट्रिज केस	1 नं.
मैगजीन्स	11 मैगजीन्स
बम/ग्रेनेड	हैंड ग्रेनेड-03 लाथोड बम-06 चाइनीज हैंड ग्रेनेड-02 लाथोड लांचर ग्रेनेड-02
अफीम	529 ग्राम
विविध	जबरन वसूली नो-03 जानवरों की खाल-01

लांगडिंग जिले में एन एस सी एन (के) खिलाफ रजिस्टर्ड किए गए मामलों के बारे में समेकित आंकड़े निम्न प्रकार हैं :-

जबरन वसूली	अपहरण	आर्म्स एक्ट	विस्फोटक/एनडीपीएस	सुरक्षा बलों पर घात/ हमले	यूएपीएसीटी
26/13	28/13	31/13	56/13	37/14	पीसीएच
58/13	83/14	32/13	08/14 पीसीएच	14/15	02/15
75/14	पीसीएच 01/15	36/13		22/15	
06/15		03/14		32/15	
52/15		केबीआर		(आईइडी धमाका)	
केबीआर 13/14		20/15			
		पीसीएच			
		01/14			
		पी सी एच			
		04/14			
छः	तीन	सात	दो	चार	एक

40. चांगलांग जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अमित शर्मा द्वारा दायर किए गए शपथ-पत्र के संबंध में श्री ओहरी ने अभिसाक्षी के साक्ष्य में वर्णित एक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि चांगलांग जिले में, बम धमाकों को अंजाम दिए जाने के मकसद से प्रतिबंधित संगठन द्वारा आई ई डी का इस्तेमाल किया गया। लांगडिंग जिले में शिव मंदिर के सामने भी इसी प्रकार के आई ई डी धमाके किए गए

जिनमें एनएससीएन(के) के दो संदिग्ध काडरों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक सीमा पार कर म्यांमार भाग गया। इसके पश्चात्, 25.09.2015 को अरुणाचल प्रदेश के लांगडिंग जिले में प्रतिबंधित संगठन के काडरों से घातक हथियार और हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए गए।

विश्लेषण

41. भारत सरकार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की राज्य सरकारों द्वारा रिकार्ड में लाए गए संपूर्ण साक्ष्यों का न तो खंडन किया गया और न ही उन्हें कोई चुनौती दी गई। एनएससीएन (के) द्वारा एकतरफा रहे किसी भी अभिसाक्षी से जिरह नहीं की गई। अधिकरण की अनेक बैठकें होने के बावजूद प्रतिबंधित संगठन की ओर से कोई भी प्रतिवेदन नहीं दिया गया। अन्य किसी स्रोत से भी कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अतः साक्ष्यों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। तदनुसार, पेश किए गए साक्ष्य सिद्ध होते हैं तथा उन्हें स्वीकार किया जाता है।

42. भारत सरकार तथा उपर्युक्त तीनों राज्यों के विद्वत अधिवक्ताओं को सुना गया।

43. रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर अधिकरण का विचार है कि एनएससीएन (के) भारत के तीन सटे हुए पूर्वोत्तर के राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में गैर-कानूनी और हिंसक गतिविधियों में लिप्त है। एनएससीएन (के) के नेता तथा काडर मूलरूप से म्यांमार में रहते हैं तथा कानून के द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करने तथा राज्य की सत्ता को नष्ट करने के प्रयोजन से अपने विधिविरुद्ध कार्यकलापों को अंजाम देते हैं। सरकार की खुफिया रिपोर्ट यह बताती है कि प्रतिबंधित संगठन के काडरों द्वारा संघर्ष विराम से उनका संबंध समाप्त हो जाने के पश्चात्, भारत के खिलाफ अपनी हिंसक गतिविधियों में तेजी लाने तथा उपर्युक्त तीनों राज्यों में अंतर-दल संबंधी विवादों तथा दूसरे गुटों के साथ की जाने वाली झड़पों में भी वृद्धि किए जाने की संभावना है। वे भारतीय नागरिकों को डराना-धमकाना, जबरन वसूली तथा धमकियां दिया जाना जारी रखेंगे तथा हरसंभव भारतीय राज्य को नष्ट करने के प्रयास जारी रखेंगे। प्रतिबंधित संगठन द्वारा पिछले तीन वर्षों में किए गए विभिन्न हमले यह दर्शाते हैं कि खुफिया तंत्र की रिपोर्टें सही थीं तथा प्रतिबंधित संगठन भारतीय संघ के खिलाफ अपने जघन्य और विधिविरुद्ध कार्यकलापों को लगातार अंजाम दे रहा है। यह प्रतिबंधित संगठन जबरन वसूली, डराने-धमकाने, अपहरण और स्वापक के अवैध व्यापार द्वारा अपनी निधियों में इजाफा करता है। यह संगठन उपर्युक्त तीनों राज्यों में युवकों को बरगला कर अपने गैर-कानूनी का डर का हिस्सा बनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित तथा मजबूर करता है। यह संगठन भोलेभाले नागरिकों पर किए जाने वाले हमलों में भी शामिल रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए यह संगठन यदा-कदा अपने काडरों को इकट्ठा करता रहा है। प्रतिबंधित संगठन के काडर भारत में विधिविरुद्ध और हिंसक कार्यकलापों को अंजाम देने के पश्चात् बचने के प्रयोजन से म्यांमार के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इनकी कार्यकलापों का मकसद स्पष्ट रूप से भारतीय नागरिकों तथा भारत के क्षेत्र के निवासियों के मन मस्तिष्क में घबराहट तथा बड़े पैमाने पर भय पैदा करना और कानून सम्मत प्रशासनिक तंत्र को अस्थिर करने के साथ ही भारत संघ के कुछ भू-भागों को पृथक कर तथा म्यांमार के कुछ भागों/क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रभुसत्ता सम्पन्न नागालैंड राज्य की स्थापना करना है।

44. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 (0) में 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' को परिभाषित किया गया है जो कि निम्नानुसार है:-

“(ण) जो किसी व्यक्ति या संगम के संबंध में “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप” का अर्थ ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा की गई कोई कार्रवाई (कोई कार्य करने के द्वारा या शब्दों द्वारा बोलकर या लिखकर, या संकेतों द्वारा या सुस्पष्ट प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा), -

(i) जो कि भारत के भू-भाग के किसी हिस्से के अध्यर्पण या संघ से भारत के भू-भाग के किसी हिस्से के अध्यर्पण को किसी भी आधार पर उत्पन्न करने के आशय से हो या ऐसा करने के किसी दावे के समर्थन में हो या जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के दल को ऐसा अध्यर्पण या विलगाव करने के लिए उकसाए, या

(ii) जो भारत की सम्प्रभुता और भू-भागीय अखंडता के दावे का त्याग करे या उसके बारे में प्रश्न खड़ा करे, या उसमें व्यवधान डाले, या उसमें व्यवधान डालने के आशय से किया गया हो, या

(iii) जो भारत के विरुद्ध अनिष्ठा/राजद्रोह उत्पन्न करे या उत्पन्न करने के आशय से हो।

45. हासिल किए गए साक्ष्यों तथा की गई चर्चा से यह स्पष्टतः स्थापित होता है कि एनएससीएन (के) अधिनियम की धारा 2 (ण) के तहत परिभाषा के मुताबिक विधिविरुद्ध कार्यकलापों में लिप्त है तथा अधिनियम की धारा 2(पी) जो निम्न प्रकार हैं, के तहत की गई परिभाषा के मुताबिक गैर-कानूनी संस्था है :-

“ उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 (त) में विधिविरुद्ध संगम को परिभाषित किया गया है जो कि निम्नानुसार है :-

(त) विधिविरुद्ध संगम का अर्थ कोई ऐसा संघ है -

(i) जिसका उद्देश्य कोई विधिविरुद्ध कार्यकलाप या जो किसी विधिविरुद्ध कार्यकलाप का बीड़ा उठाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करे, या सहायता प्रदान करे, या जिसके सदस्य ऐसे कार्यकलाप का बीड़ा उठाएं, या

- (ii) जिसका उद्देश्य कोई ऐसा कार्यकलाप हो जो कि भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) की धारा 153(क) या धारा 153 (ख) के अंतर्गत दण्डनीय हो, या जो लोगों को ऐसे कार्यकलाप का बीड़ा उठाने हेतु प्रोत्साहित करे या सहायता प्रदान करे, या जिसके सदस्य ऐसे किसी कार्यकलाप का बीड़ा उठाएं।

परन्तु यह कि उपखंड (ii) में निहित कोई भी बात जम्मू और कश्मीर के राज्य पर लागू नहीं होगी।

46. अधिनियम की धारा 2 (पी) के उप-खंड (i) और (ii) में दी गई परिभाषा के मुताबिक एनएससीएन (के) विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त है। इसका प्रयोजन विधिविरुद्ध है क्योंकि ऊपर जिन कार्यकलापों पर चर्चा की गई है वे अधिनियम की धारा 2 (पी) (i) और (ii) के प्रावधानों के तहत दण्डनीय हैं। निःसंदेह राजद्रोह राजनीतिक अन्य संक्रामण अथवा असंतोष, वर्तमान सरकार के प्रति अनिष्टता की भावना को व्यक्त करता है; यह भावना आज्ञा का पालन न करने, परन्तु सरकार का प्रतिरोध करने और उसे उत्तर देने की मनोवृत्ति को व्यक्त करती है। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार एवं अन्य बनाम सुकुमार सेनगुप्ता एवं अन्य 1990 एआईआर 1962 के मामले में "प्रभुता" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया है :

"सम्प्रभुता को एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज में "सर्वोच्च प्राधिकार" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अत्यावश्यक अविभाज्य और असीम है। तथापि, अब इसे विभाज्य और सीमित दोनों की रूप में समझा और स्वीकार किया जाता है। सम्प्रभुता एक सामान्य प्रतिरोध की सभ्यता द्वारा बाहर से सीमित है-आंतरिक सम्प्रभुता समस्त कार्यों से ऊपर सर्वोच्च शक्ति है; तथा यह स्वयं ही शक्ति की प्रकृति द्वारा सीमित है।"

47. भारत के संविधान के अनुसार, भारत एक सम्प्रभुता सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के भू-भाग को सुरक्षित रखना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना अन्वयों के साथ-साथ "भाईचारा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है।" अतः इसके भू-भाग में जहां तक भारत का संविधान प्रभावी होता है, कोई भी कार्य राष्ट्र की एकता और अखंडता के संदर्भ में भाईचारे की भावना से सराबोर होगा। प्रतिबंधित संगठन की विधिविरुद्ध क्रियाकलाप में संलिप्तता न केवल विधिविरुद्ध है बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा भी है तथा भारत के खिलाफ राजद्रोह का कारण है। अतः भारत सरकार द्वारा न्याय सम्मत तरीके से इस संगठन को नियंत्रित करने तथा प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है। भारत के राज्यों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण संविधान तथा इससे संबंधित कानूनों की शर्तों के तहत किया जाता है। एनएससीएन (के) सम्प्रभुता सम्पन्न नागालैंड राष्ट्र के निर्माण के मकसद से भारत के हिस्सों को अलग करना अथवा इसका विभाजन चाहता है; भारत की अखंडता के खिलाफ इसकी खुली कार्रवाई भारत गणराज्य की सम्प्रभुता के लिए एक चुनौती है।

48. अभिसाक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त रूप से यह दर्शाते हैं कि प्रतिबंधित संगठन एनएससीएन (के) भारत के भागों को अलग किए जाने के मदसद से जबरन वसूली; सुरक्षा बलों के कार्मिकों पर घात लगाकर हमला करने के साथ-साथ नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने जैसे व्यापक और लगातार विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त हैं। इससे प्रतिबंधित संगठन की विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्तता सिद्ध होती है।

निर्णय

49. रिकॉर्ड किए गए पर्याप्त और प्रभावी साक्ष्यों के मद्देनजर अधिकरण की यह राय है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) को एक गैर-कानूनी संघ घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं। तदनुसार, यह अधिकरण, भारत सरकार द्वारा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] को प्रतिबंधित किए जाने से संबंधित दिनांक 28.09.2015 को जारी की गई उस अधिसूचना, जिसमें इस संगठन को उपर्युक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है, की सम्पुष्टि करता है।

18 मार्च, 2016

नाजमी वजीरी, जे.
पीठासीन अधिकारी
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th May, 2016

S.O.1645 (E). ---In terms of section 4(4) of the Unlawful activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Shri Najmi Waziri, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4 (1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association, namely the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) as unlawful is published for general information:

[No. 11011/45/2015-NE.V]
SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

ANNEXURE**UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL****NEW DELHI**Reserved on: 16th March, 2016Date of Decision: 18th March, 2016

IN THE MATTER OF: NATIONAL SOCIALIST COUNCIL OF NAGALAND (KHAPLANG)

CORAM:**HON'BLE MR. JUSTICE NAJMI WAZIRI****Present:**

Present: Mr. Sanjay Jain, ASG with Mr. Kirtiman Singh, CGSC, Mr. Anurag Ahluwalia, CGSC and Mr. Prashant Ghai, Advocate for Central Government/UOI

Mr. Manoj Ohri, Senior Advocate with Mr. Nawab Singh and Mr. Siddhartha Kalita, Advocates for the State of Arunachal Pradesh.

Mr. Sapam Biswajit Meitei with Ms. B. Khushbansi, Advocates for the State of Manipur.

Mr. Vikramajit Banerjee, Advocate General for the State of Nagaland with Ms. K. Enatoli Sema, Advocate for the State of Nagaland.

Mr. P.K. Uppal, Registrar, Unlawful Activities (Prevention) Tribunal.

ORDER

1. By a notification dated 28th September, 2015 published in the Gazette of India (Extraordinary), the Central Government has declared National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [hereinafter NSCN(K)] as an unlawful association, in exercise of the powers conferred to it by the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as '*the Act*' for short).

2. This Tribunal was constituted through a notification issued by Joint Secretary to the Government of India and published in the Gazette of India (Extraordinary) dated 27th October, 2015 for adjudicating as to whether there is sufficient cause of declaring the NSCN(K) [the 'banned organisation'] as an unlawful association under the Act. A corrigendum to the aforesaid notification dated 27th October, 2015 was issued on 06.11.2015.

Service of Notice

3. Preliminary hearing of the Tribunal was held on 26.11.2015, notice was issued to the banned organisation to show cause within 30 days as to why it should not be declared unlawful. The notice was directed to be served in the following manner:

- i. affixing a copy of the notification to some conspicuous part of the office(s), if any, of the Association;
- ii. serving a copy of the notification, wherever possible, on the principal office-bearers, if any, of the Association;

- iii. proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers, the contents of the notification in the area in which the activities of the Association are ordinarily carried on;
 - iv. making an announcement over the radio from the local or nearest broadcasting station of the All India Radio;
 - v. pasting the notification on the Notice Board of the office of the Deputy Commissioners at the Headquarters of each of the Districts in the state; and
 - vi. publication in a National Newspaper in English and in one vernacular newspaper of the respective States in which the activities of the NSCN(K) are ordinarily carried on.
4. Affidavits of service upon the banned organisation, in terms of this Tribunal's order dated 26.11.2015, were filed on behalf of the Union of India as well as by the States of Manipur and Arunachal Pradesh and later by the State of Nagaland also to the effect that the notice was duly served. The Tribunal had considered the exhaustive steps taken to serve the notice and concluded that notice had been duly served upon the NSCN(K). Since none appeared for the NSCN(K) before the Tribunal, they were proceeded *ex-parte* on 20.01.2016.

Background

5. According to the notification, the reason for banning the NSCN(K) is that the organisation has professed its aim to create a sovereign Nagaland incorporating the Naga inhabited areas of the Indo-Myanmar region by secession of certain territories of the Indian Union, in alliance with other armed secessionist organisations of Nagaland and the North Eastern Region. The Central Government is of the opinion that the NSCN(K) has been:

- (i) indulging in illegal and violent activities intended to disrupt, or which disrupt, the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate State;
- (ii) aligning itself with other underground outfits of the North Eastern Region in furtherance of its objectives to create a separate State;
- (iii) engaging in unlawful and violent activities thereby undermining the authority of the Government of India and the Governments of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh and spreading terror and panic among the people;
- (iv) indulging in extortion of money from various factions of the society with a view to financing and executing its plans and activities;
- (v) establishing camps and hideouts across the Country's border to carry out its secessionist activities.

6. The Government of India had also opined that the NSCN(K) had indulged in violent and unlawful activities including:

- (i) injuring four Assam Rifles personnel on the 26th March, 2015 by indiscriminately firing upon 19 personnel of Assam Rifles near Indira Gandhi Stadium in district Kohima;
- (ii) injuring four civilians by exploding a bomb at PWD Colony, Wokha Town, district Wokha on the 26th March, 2015.
- (iii) Killing seven and injuring nine Security Force personnel of Assam Rifles, killing one Security Force personnel of Naga Territorial Army in an ambush on the 3rd May, 2015, at village Changlangshu, under Tobu Police Station of district Mon; and
- (iv) killing one Security Force personnel and two porters and also critically injuring nine Security Force personnel of 14th Assam Rifle at Indo-Myanmar border on 6th February, 2015, falling under Jairam Sub-division of Changlang district.

7. In view of the professed aim and violent and unlawful activities of the NSCN(K), the Central Government was of the opinion that the aforesaid activities of the NSCN(K) are detrimental to the sovereignty and integrity of India. The Central Government concluded that if there is no immediate curb and control on the unlawful activities of the NSCN(K), the organisation may continue to make fresh recruitments, indulge in violent terrorist and secessionist activities, collect funds and otherwise endanger the lives of innocent citizens and security force personnel and that it thus ought to be declared as an unlawful association with immediate effect. Therefore, the NSCN(K) was declared an unlawful association under Section 3 of the Act. Now, under Section 4 of the Act, this Tribunal is to determine whether the declaration is to be confirmed.

8. The notification is accompanied with a background note prepared by the Central Government which provides a historical perspective, background and their substantive reasons for arriving at the conclusion of banning the NSCN(K).

9. The banned organisation is a faction of National Socialist Council of Nagaland which was formed on 31st January, 1980. It split into two groups in April 1988, namely National Socialist Council of Nagaland (Issaq-Muivah) [NSCN(I/M)] led by Isak Swu and Th. Muivah and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN(K)], led

by S.S. Khaplang, a Myanmarese Naga, and Khole Konyak. NSCN(I/M) entered into an indefinite Ceasefire Agreement with Government of India and a separate agreement was also entered into between the Government of India with NSCN(K) on 28.04.2001, which was renewed periodically. But, on 27.03.2015, the said organisation unilaterally abrogated the ceasefire agreement and indulged in violent unlawful activities which led to formation of a new faction namely NSCN(Reformation) by the moderate leaders of NSCN(K), who were in favour of continuation of ceasefire with Government of India. However, the banned organisation NSCN(K) continued to indulge in violent and unlawful activities as indicated hereinabove which led to it being declared as an unlawful association.

10. According to the Central Government, the NSCN(K) is professed to violent activities; its violent profile is etched by violent activities after abrogation of the ceasefire which includes indiscriminate firing upon the personnel of 14th Assam Rifles near Indra Gandhi Stadium under North Police Station Kohima, injuring four Assam Rifles personnel. On the same day, a bomb was detonated at PWD Colony under Wokha Town Police Station, district Wokha in which four civilians were injured. These acts indicate that the NSCN(K) had prepared in advance for abrogating the ceasefire with the Government of India. The NSCN(K) is in the process of mobilising its cadres from the Indo-Myanmar border under the direct supervision of Nikki Sumi, its self styled Lt. General. Suspected cadres of NSCN(K) have launched major offences against security forces, including the assault on leaders and cadres of rival groups and upon business establishments in Kohima, Dinapur and Mokokchung. According to the Government's intelligence report of April 2015, 130 cadres of NSCN(K) were camping across the Indo-Myanmar border with the intention to assault Assam Rifles personnel and attacking their outposts at Longwa village, under Phomching Police Station, Mon district, while another armed group of 30-40 cadres of NSCN(K) was found to be proceeding towards Chenmoho in Mon district from its General Head Quarter at Throillo in Myanmar. It is the Government's view that NSCN(K) has been aiding and sheltering other unlawful groups such as United Liberation Front of Asom (ULFA), National Democratic Front of Boroland (NDFB) and CorCom (conglomerate of six Meitei Underground groups of Manipur), particularly at their bases in Myanmar. These outfits were in favour of NSCN(K)'s decision to abrogate the ceasefire and also urged all UG groups of the Myanmar region to follow the same path and fight against the Republic of India. At their bases, all these outfits and CorCom welcomed the decision of abrogation of ceasefire by NSCN(K) and went on to urge all underground groups of the region to follow the same path to come out of the 'malicious design' of India to fight together. According to the background note, the NSCN(K) has sizable detachments in Myanmar at various camps located in Momkho, Khamlao, Lunglawng, Ngiakchang/Nyanching, Ganyo General Area, Lahe, Kachin Sub Division, Shagot, Lahbon, Liglimkan, Maimong, Tonnyu and Taga area etc. where its leaders and cadres are using the camps as a Command Centre and for training its cadres. The Government has also been informed that, at the behest of the Chinese, various North Eastern Insurgent Groups met in April 2015 in Myanmar to form a Revolutionary United Front under the leadership of S.S. Khaplang, self-styled Chairman of NSCN(K) and the outfit had smuggled weapons into India and intensified violence in the North East particularly targeting Security Forces. The area where NSCN(K) is active include the Indo-Myanmar border, Dimapur, Mon, Longleng, Phek, Kiphire, Zunheboto and Kohima districts of Nagaland, Changlong, Longding and Tirap districts of Arunachal Pradesh and parts of Tamenglong and Senapati districts of Manipur. The NSCN(K) has a cadre strength of around 700-800 who bear sophisticated weapons including Rocket Launchers etc. S.S. Khaplang, Nikki Sumi and its main leaders are stated to be currently based in Myanmar. The background report further stated that NSCN(K) has the objective to create a sovereign Nagaland incorporating the Naga inhabited areas of Indo-Myanmar region by secession of parts of India and some parts of Myanmar through armed struggle which threaten the sovereignty and integrity of India. Furthermore, to achieve this objective, it has indulged in unlawful and violent activities undermining the authority of the Government and spreading terror and panic among the people. The unlawful activities include:

- i. aligned itself with other unlawful associations like the United Liberation Front of Asom (ULFA), the National Democratic Front of Boroland (NDFB) and CorCom (Conglomerate of six Meitei UG groups of Manipur) to create a separate State;
- ii. indulged in extortion of money from businessmen, Government officials and other civilians. In addition, they kidnapped people for ransom with a view to finance and execute their plans for the creation of a separate state;
- iii. embarked on a systematic drive for recruitment of fresh cadres with a view to continuing its terrorist and insurgency activities;
- iv. established camps and hideouts across the Country's borders to carry out its secessionist activities;
- v. obtained assistance from anti-India forces in other countries to procure arms and other assistance in their struggle for the creation of a separate state.

11. It is the Government's information that the NSCN(K) is continuing its unlawful activities. These activities need to be immediately arrested; otherwise, the unlawful organisation could take undue advantage of the situation and mobilise its cadres to escalate secession and violent activities including propagation of anti-national and unlawful activities in collusion with foreign elements inimical to India's security concerns. It is also the Government's view that if

the unlawful activities are not immediately stopped and if the organisation NSCN(K) is not declared as an unlawful organisation, it would lend the organisation freedom to manoeuvre and gather secessionist and anti-national forces and to further nurture the organisation, which could lead to a difficult situation for the police, law enforcement and security forces to detain and prosecute the members of the cadres of the outfit. The Government has based its assessment on reports from the Government of Manipur, Government of Arunachal Pradesh; Ministry of Defence, Intelligence Bureau, Central Reserve Police Force (CRPF) and Border Security Force (BSF), all of whom have recommended that the NSCN(K) should be declared an unlawful association.

Evidence

12. As per the orders dated 20.01.2016 and 01.03.2016, part evidence on behalf of the Union of India, evidence on behalf of States of Arunachal Pradesh and Manipur was recorded at Gangtok on 11th and 12th February, 2016 and remainder part of the evidence of these parties as well as the evidence on behalf of the State of Nagaland was recorded on 8th & 9th of March, 2016 at Shillong and on 11th of March, 2016 at Namsai with a view to invite wider public representation in support of or against the ban and also to afford NSCN(K) an occasion to participate in the proceedings, if so desired.

13. The State of Arunachal Pradesh examined the following witnesses as AP-1 & AP-2 in Gangtok and AP-3 & AP-4 in Namsai:

- (i) AP-1 - Dr. Tariq Thomas, IAS, Special Secretary(Home) to the Government of Arunachal Pradesh, Arunachal Pradesh Civil Secretariat, Itanagar
- (ii) AP-2 - Shri Amit Sharma, Superintendent of Police, Changlang District, Arunachal Pradesh
- (iii) AP-3 – Shri Jasmeet Singh, Superintendent of Police, Tirap District, Arunachal Pradesh
- (iv) AP-4- Shri Jasmeet Singh, Superintendent of Police, Longding District, Arunachal Pradesh

14. AP-1, Dr. Tariq Thomas, has deposed that the NSCN(K) is continuing to indulge in unlawful activities which are dangerous to the safety of the citizens and the integrity of India and there is sufficient evidence on record to show that the organisation needs to be banned. He has deposed that NSCN(K) has indulged in extensive activities of extortion, kidnapping and abduction for ransom, illegal collection of tax and imposition of annual tax, service tax and village tax in various parts of Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland. Its repeated ambush and violent assaults with sophisticated weapons against the Indian security forces; illegal recruitment of local youths by misguiding them and training them to take up arms against the Government established by law so as to create a sense of civil unrest; its unlawful interference with the electoral process; its indulgence in drug trafficking for the purpose of financing its unlawful activities and for exploiting Indian youths and/or indulging local youths for drug trafficking and/or exploiting their drug dependency; its indulgence in smuggling of arms and ammunition across the Indo-Myanmar border and setting up of training camps against the Indian republic; its nexus with other militant and insurgent outfits in the North Eastern region of India and formation of an umbrella organisation by the name of United National Liberation Front of West South East Asia (UNLFW); its attack on indigenous faith groups like the Rangfra in Arunachal Pradesh and inter-factional clashes with other insurgent groups leading to sense of disquiet and fear amongst the inhabitants of the region as well as disruption of normal life; obstruction of commercial activities and business activities and development of the region all show that NSCN(K) has indulged in unlawful and violent activities. Hence, it should be banned. The deponents have further stated that the NSCN(K) has indulged in 200 cases in the year 2013. Similarly, in the years 2014 and 2015, the said figure was 168 and 150 respectively.

15. It has been brought on record that NSCN(K) has its objective of secession of parts of India for the formation of a sovereign state of Nagaland. It has been employing and has been engaging in violent means for creating and spreading disaffection against the government established by law. Its activities are a direct threat to the sovereignty and integrity of India. Such act cannot be countenanced and need to be immediately arrested with firmness. Relying upon his experience, he further opined that if the organisation is not banned, it will continue to indulge in their low intensity warfare and indulge in unlawful activities against India and hence the ban should be confirmed.

16. AP-2, Shri Amit Sharma, has deposed that unlawful activities have been carried out by the NSCN(K) which have been detailed in his affidavit read with the annexures thereto. He further deposed that in the four FIRs mentioned therein, conviction orders have been passed against the unlawful activities associated with and carried out by the cadres of NSCN(K) one at P.S. Jairampur and three at P.S. Changlang. He further deposed that NSCN(K) is still very active and is indulging in large scale unlawful and violent activities undermining the authority of the Government and spreading terror among the people, causing immense impediments to leading a normal life. Due to such criminal activities, a large number of cases have been registered against them at different police stations and a number of NSCN(K) cadres have been arrested from time to time. He stated that there is sufficient evidence on record that the organisation needs to be banned. He deposed that the case diaries would show that the activities of the organization NSCN(K) and its members are violent and anti-national and need to be curbed at every level. As a Police Officer, his judgment was that the activities indulged in by this organisation have caused and would continue to cause unrest and fear among the people living in the State.

17. Shri Jasmeet Singh, whose evidence was recorded as AP-3 for the District of Tirap and AP-4 for the district of Longding, has deposed that unlawful activities have been carried out by the NSCN(K). He presented before the Tribunal 22 FIRs which involve unlawful activities which have been carried out in the district of Tirap. His affidavit lists a number of incidents of unlawful activities carried out by the banned organisation between the years 2013 to 2015 including certain incidents where cadres of the banned organisation were arrested by the Assam Rifles while in possession of unauthorised arms and ammunitions. He stated that some of these cadres are still in judicial custody. He further deposed that around 22 charge-sheets have been filed till date in relation to these unlawful activities; that there were incidents wherein heavy gun fire was exchanged with the Indian security personnel resulting in the death of few members of the banned organisation; that a number of lethal weapons were recovered from the cadres of the banned organisation and were duly destroyed as per judicial orders; that there was one particular incident in which a camp of Assam Rifles security personnel were attacked on 09.06.2015 at 2.45 am; opium, narcotic substance, had been recovered from the unlawful cadres. He deposed that the banned organisation has caused immense disquiet and fear in the minds of the public and has disrupted normal life. In these circumstances, it was his opinion that the ban on the said organisation should be confirmed.

18. The State of Manipur examined five witnesses numbered as Manipur-1 to Manipur-4:

- (i) Manipur-1 – Shri Rehanuddin Choudhury, Joint Secretary (Home), Government of Manipur, Imphal
- (ii) Manipur 2 – Shri Lhunkhohao Lhouvum, presently working as Addl. Superintendent of Police, Kangpokpi, Senapati District, Manipur
- (iii) Manipur-3 – Shri Paukhomang Zou M.D. Basiruddin, presently working as Sub-Inspector of Police in Manipur.
- (iv) Manipur 4 - Shri M.D. Basiruddin, presently working as Sub-Inspector of Police in Manipur
- (v) Manipur 5-(erroneously numbered as Manipur-4) - Shri M.D. Anwar Hussain, presently working as Sub-Inspector of Police in Manipur.

19. Manipur-1, Shri Rehanuddin Choudhury, has deposed that unlawful activities have been carried out by the NSCN(K) which have been detailed in his affidavit read with the annexures. The annexures to his affidavit are based on inputs received from security personnel of the state and other intelligence agencies and list the various instances in which cases were registered against the banned organisation between the years 2012 to 2016. He stated that 22 FIRs each were registered against the NSCN (K) in the years 2012, 2013 and 2014; that between 01.01.2015 to 31.07.2015, 21 FIRs have been registered against them; that the activities of the NSCN(K) include large scale unlawful and violent activities which undermine the authority of the government, spread terror among the people and cause an immense impediment to the leading of a normal life. He stated that his experience tells him that if the organisation is not banned, they would continue to indulge in low intensity unlawful activities against India and that the ban should therefore be confirmed.

20. Manipur-2, Shri Khuplen Lhouvum, has deposed that unlawful activities have been carried out by the NSCN(K) which have been detailed in his affidavit read with the annexures. He stated that pursuant to the receipt of information from the 10 Assam Rifles on 23.06.2015, an investigation team left Sapormeina Police Station on 23rd June, 2015 at 12.10 pm and found six corpses lying at Kacha Nullah. Arms and ammunitions were also recovered from the spot. He stated that the activities of the NSCN(K) include large scale unlawful and violent activities which undermine the authority of the government, spread terror among the people and cause an immense impediment to leading a normal life; that the case diaries show that the activities of the organisation and its members are violent and anti-national and need to be curbed at every level. He stated that in his judgment, if the organisation is not banned, they would continue to indulge in low intensity unlawful activities against India and that the ban should therefore be confirmed.

21. Manipur-3, Shri Paukhomang Zou, has deposed that unlawful activities have been carried out by the NSCN(K) which have been detailed in his affidavit read with the annexures. His affidavit incorporates FIRs of the incidents carried out by the banned organisation. Their cadres, while in possession of arms and ammunition, were arrested by security personnel of 23 Assam Rifles. He stated that the activities of the NSCN(K) include large scale unlawful and violent activities which undermine the authority of the government, spread terror among the people and cause an immense impediment to the leading of a normal life; that the case diaries show that the activities of the organisation and its members are violent and anti-national and need to be curbed at every level. He stated that there is sufficient evidence to show that if the organisation is not banned, they would continue to indulge in low intensity unlawful activities against India and that the ban should therefore be confirmed.

22. Manipur-4, Shri MD. Basiruddin, has deposed that unlawful activities have been carried out by the NSCN(K) which have been detailed in his affidavit read with the annexures. He referred to an incident in which three persons belonging to the banned organisation were apprehended by security personnel of 10 Assam Rifles on or about 18.09.2013. His affidavit incorporates FIRs of the incidents carried out by the banned organisation. He stated that the activities of the NSCN(K) include large scale unlawful and violent activities which undermine the authority of the Government, spread terror among the people and cause an immense impediment to the leading of a normal life; that the case diaries show that the activities of the organisation and its members are violent and anti-national and need to be

curbed at every level. He stated that it is his judgment that if the organisation is not banned, they would continue to indulge in low intensity unlawful activities against India and that the ban should therefore be confirmed.

23. Manipur-5, Shri Md. Anwar Hussain, has deposed that unlawful activities have been carried out by the NSCN(K) which have been detailed in his affidavit read with the annexures. His affidavit, which was verified before the Oath Commissioner on 1st February 2016, is supported by an FIR which was registered on the basis of the information and inputs received from 22 Grenadier regarding the presence of some armed underground elements with an aim to commit prejudicial activities and extortion activities on the general public. One person was arrested for the unauthorized possession of firearms; he had extorted money from the general public and was also involved in the transportation of arms and ammunitions from place to place. He stated that the activities of the NSCN(K) include large scale unlawful and violent activities which undermine the authority of the government, spread terror among the people and cause an immense impediment to the leading of a normal life; that the case diaries show that the activities of the organisation and its members are violent and anti-national and need to be curbed at every level. He too stated that it is his judgment that if the organisation is not banned, they would continue to indulge in low intensity unlawful activities against India and that the ban should therefore be confirmed.

24. The State of Nagaland examined Shri Toshitsungba Aier, IGP (Crime), Police Headquarters, Kohima, Nagaland as Nagaland-1 in Shillong.

25. Nagaland-1, Shri Toshitsungba Aier, has deposed that 53 unlawful activities were carried out by the banned organisation between the years 2013 and 2015 and she stated that these activities should be taken into consideration by the tribunal in the final adjudication of the proceedings.

26. The Central Government examined Ms. Neeta Gupta, Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs as UOI-1 in Gangtok.

27. On behalf of the Union of India, Ms. Neeta Gupta, Deputy Secretary to the Government of India deposed that the Brief Resume regarding the aims/objectives and violent activities of the NSCN (K) furnished to the Tribunal was prepared by her on the basis of records and inputs available on the record. She reiterated the contents of the same. She further deposed that National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) is still continuing to indulge in unlawful activities which are dangerous to the safety of the citizens and the integrity of India and that there is sufficient evidence on record that the organisation needs to be banned. On the basis of official records and inputs received from intelligence agencies and the State of Arunachal Pradesh and the State of Manipur, she believed that if this organisation is not banned, they will continue to indulge in their low intensity warfare against India. Hence, the organisation needs to be banned.

28. All the deponents have deposed regarding the unlawful and violent activities being indulged in by NSCN(K) in various parts of the State of Arunachal Pradesh, State of Manipur and State of Nagaland with the objective of creating terror among the people; civil unrest and paralyzing government machinery with an extreme objective to create a sovereign Nagaland incorporating the Naga inhabited areas of the Indo-Myanmar region by secession from the Indian Union in alliance with other armed secessionist organisations of Nagaland and North Eastern Region.

29. AP-1 and AP-3 have tendered a sealed envelope containing material in support of their deposition that NSCN(K) had indulged in unlawful activities. The report included separate inputs from RAW, BSF, Intelligence Bureau and the Ministry of Defence. The envelopes were opened, perused and re-sealed. It shall be returned to the Central Government along with the report.

30. Statements of above noted witnesses have remained unchallenged as no one came forward on behalf of NSCN(K) to cross-examine the witnesses as the NSCN(K) has remained *ex-parte*, no public person has filed any objections.

Arguments

31. On behalf of the State of Nagaland, Mr. Vikramajit Banerjee, Advocate, submitted that the process of seeking a peaceful political solution to the problem relating to the NSCN(K) is underway. In particular, he referred to para 6 of the affidavit dated 26.11.2015 filed by the Resident Commissioner of Nagaland, which refers to the State Cabinet meeting held on 04.05.2015 and emphasised that killings and acts of violence will not bring about a solution and it is only through dialogue and negotiation that permanent peace can be achieved. He further contended that in the background of NSCN(K) being declared as unlawful association, the Cabinet held another meeting on 11.06.2015 and agreed that the Government of India may be requested to explore the possibility of restoration of ceasefire with NSCN(K) in the interest of peaceful, amicable and acceptable resolution of the Naga political issue.

32. Refuting the said affidavit, Mr. Kirtiman Singh, Standing Counsel for the Government of India, submitted that the affidavit filed by the Resident Commissioner does not refer to the unlawful activities being carried out by the banned organisation, but is only based upon instructions given by the Home Department of the State Government. According to him, it is more in the nature of a policy statement rather than a refutation of the number of unlawful activities being carried out by the unlawful organisation.

33. Mr. Sanjay Jain, the learned Additional Solicitor General of India submitted that in view of the extensive evidence available against the banned organisation from the three State Governments, the ban may be confirmed. He referred to, in particular, the assault on the security personnel and stated that nothing could be more serious than undermining the authority of the State in the territory of India around the Indo-Myanmar border starting from Arunachal Pradesh in the north to the lower reaches of the State of Nagaland. He submitted that the banned organisation has consistently and repeatedly indulged in unlawful activities not only undermining the authority of the State but also creating terror and disquiet among the people. He submitted that the organisation needs to be banned, especially for its secessionist objectives.

34. With respect to the submissions on behalf of the State of Nagaland to the effect that peaceful dialogue may be the best option, he submitted that the same is a matter of policy, which the Governments can always resort to in view of the *obstante* provision of Section 6 of the Act. Section 6 of the Act reads as under:

“6. Period of operation and cancellation of notification.

(1) Subject to the provisions of sub-section (2), a notification issued under section 3 shall, if the declaration made therein is confirmed by the Tribunal by an order made under section 4, remain in force for a period of two years from the date on which the notification becomes effective.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Central Government may, either on its own motion or on the application of any person aggrieved, at any time, cancel the notification issued under section 3, whether or not the declaration made therein has been confirmed by the Tribunal.”

35. He further submitted that this Tribunal is only to appreciate at the evidence available on record and arrive at a decision on its basis.

36. Evidence of the State of Nagaland was recorded on 9th March, 2016. The affidavit lists 50 cases of unlawful activities having been carried out by the banned organisation in the year 2013, 51 in 2014 and 53 in 2015. The Deponent has stated that the banned organisation NSCN(K) has indulged in extensive unlawful activities in the State of Nagaland and that these activities be taken into consideration in the final adjudication of the proceedings. Perusing through the list of unlawful activities, it is observed that most of them relate to the Arms Act, extortion, kidnapping, assault on security personnel, creating public nuisance, possession of unlawful arms and ammunitions like AK-47 rifles, magazines and live rounds of bullets and cartridges of other lethal weapons, killings of civilians and assault on Indian security forces in the extensive areas of the State of Nagaland. The Tribunal is of the view that the possibility of dialogue being explored for ceasefire with the banned organisation in the interests of peaceful, amicable and acceptable resolution is always available to the Government, as it is a matter of policy. However, the same would not affect the adjudication of the present proceedings because the Tribunal is only to look into the evidence available on record.

37. Mr. Sapam Biswajit Meitei, the learned counsel on behalf of the State of Manipur, referred *inter-alia* to one particular incident, which according to him is perhaps one of the most violent attacks against the Indian security forces. The banned organisation had assaulted the Dogra Regiment of Chandel District in which 18 Indian security personnel were killed and 15 were injured by the use of lethal weapons and rocket launchers by the banned organisation.

38. Mr. Manoj Ohri, the learned Senior Advocate for the State of Arunachal Pradesh referred to the affidavit of Mr. Jasmeet Singh, S.P., Tirap District, and submitted that cadres of the banned organisation, on 10.03.2014, had opened fire upon Indian security personnel belonging to the Assam Rifles regiment in the Chingkui area of Tirap District. The attack, which resulted in the death of one personnel of the Indian forces, was carried out through the means of lathode bombs, AK-56 rifles and light machine guns. A similar assault was carried out by the cadres of the banned organisation on 13.04.2014 at 10.30 pm. Several lethal weapons were recovered from the cadres of the banned organisation during the search conducted in the area. The Deponent, Mr. Jasmeet Singh, in his affidavit, has provided a list of articles seized in the Tirap District, which is reproduced as under:-

ASSAULT RIFLES	03
PISTOL	07 PISTOLS
LIVE ROUNDS	221 ROUNDS
FIRE CARTRIDGE CASES	48
MAGAZINES	3 MAGAZINES
BOMBS/GRENADES	01 GRENADE (CHINESE MADE) 01 FIRED SHELL OF LATHODE BOMB
EXTORTION MONEY	2 LACS (APPROX.)
OPIUM	280 GRAMS (APPROX.)
FAKE CURRENCY	RS.220/-
MISCLL.	ONE RADIO SET, ONE PAIR COMBAT UNIFORM, ONE MOTOR CYCLE

The consolidated data with regard to the cases registered against the NSCN(K) in the Tirap District are reproduced as under:

EXTORTION	KIDNAPPING	ARMS ACT	EXPLOSIVE/NDPS	AMBUSH/ATTACK ON SF	UAP ACT
06/13 09/13 24/13 25/13 39/13 45/13 54/13 97/13 44/14 17/14 DML 33/14 DML 59/15 02/15 DADAM	16/14	11/13 84/13 08/14		22/13 13/14 39/14 04/15 LAZU	05/15 LAZU
THIRTEEN	ONE	THREE	ZERO	FOUR	ONE

39. The Deponent, Mr. Jasmeet Singh, in his affidavit, has further provided a list of articles seized in the Longding District, which is reproduced as under:-

ASSAULT RIFLES	03
PISTOL	10
LIVE ROUNDS	294 ROUNDS
FIRE CARTRIDGE CASES	1 no.
MAGAZINES	11 MAGAZINES
BOMBS/GRENADES	HAND GRENADES – 03 LATHODE BOMB- 06 CHINESE HAND GRENADE – 02 LATHODE LAUNCHER GRENADE – 02
OPIUM	529 GRAMS
MISCLL.	EXTORTION NOTE- 03 NOS. ANIMAL SKIN – 01 NO.

The consolidated data with regard to the cases registered against the NSCN(K) in the Longding District are reproduced as under:

EXTORTION	KIDNAPPING	ARMS ACT	EXPLOSIVE/NDPS	AMBUSH/ATTACK ON SF	UAP ACT
26/13 58/13 75/14 06/15 52/15 KBR 13/14	28/13 83/14 PCH 01/15	31/13 32/13 36/13 03/14 KBR 20/15 PCH 01/14 PCH 04/14	56/13 08/14 PCH	37/14 14/15 22/15 32/15 (IED BLAST)	PCH 02/15
SIX	THREE	SEVEN	TWO	FOUR	ONE

40. With respect to the affidavit filed by Mr. Amit Sharma, S.P., Changlang District, Mr. Ohri referred to an incident described in the deponent's evidence. He submitted that in the District of Changlang, the banned organisation used Improvised Explosive Devices (IEDs) to carry out blasts. Similar IED blasts took place in front of Shiv Mandir, Longding District in which two suspected cadres of the NSCN(K) died on the spot and one crossed the border into Myanmar. Furthermore, on 25.09.2015, lethal arms and hand grenades were recovered from the cadres of the banned organisation in Longding District, Arunachal Pradesh.

Analysis

41. The entire evidence brought on record by the Government of India, State of Arunachal Pradesh, State of Manipur and State of Nagaland has gone un rebutted and unchallenged. None of the deponents have been cross examined by the NSCN(K), who have remained *ex-parte*. There has not been any representation on behalf of the banned organisation despite various sittings of the Tribunal. Neither has any representation come from any other source. There is no reason to doubt the evidence. Accordingly, the evidence stands proved and is accepted.

42. The learned counsel for the Government of India and of the aforesaid three States were heard.

43. On the basis of the material on record, the Tribunal is of the opinion that the NSCN(K) is indulging in a spate of unlawful and violent activities throughout the three contiguous north-eastern States of India, namely the State of Arunachal Pradesh, the State of Manipur and the State of Nagaland. The leaders and cadres of NSCN(K) are primarily based in Myanmar and its unlawful activities are carried out with the objective of destabilising the Government established by law and to undermine the authority of the State. The intelligence reports of the Government have shown that the cadres of the banned organisation were likely to intensify the violence against India after their break off from the ceasefire and also to increase inter-factional disputes and clashes with other outfits in the aforesaid three States; that they would continue intimidation, extortion and threats against the Indian citizens and also continue to undermine the Indian State in every way possible. The various assaults committed by the banned organisation in the past three years show that the intelligence reports were correct and the banned organisation continues with its nefarious and unlawful activities against the Indian State. The banned organisation raises funds through extortion, intimidation, kidnapping and narcotics trafficking. It is also encouraging and coercing people in the aforesaid three states to become a part of its unlawful cadre by misleading the youth. It has indulged in assault on innocent citizens. It has gathered its cadres every now and then to attack the Indian security forces. The cadres of the banned organisation have used the territory of Myanmar to escape into, after committing unlawful and violent activities in India. Their activities clearly aimed at creating trepidation and widespread fear in the minds of Indian citizens and residents in the territory of India and to destabilise the lawful administrative apparatus, and their objective is secession of portions of the Indian nation and forming a sovereign state of Nagaland along with some parts/areas of Myanmar.

44. Section 2(o) of the Act defines 'unlawful activities' which reads as under:-

“(o) “unlawful activity”, in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise), -

- (i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession; or*
- (ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; or*
- (iii) which causes or is intended to cause disaffection against India.”*

45. From the evidence and discussion, it is clearly established that the NSCN(K) has indulged in unlawful activities as defined under Section 2(o) of the Act and is an unlawful association as defined under Section 2(p) of the Act which reads as under:

“Section 2(p) of the Act defines ‘unlawful association which reads as under:

(p) “unlawful association” means any association, -

- (i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity, or*
- (ii) which has for its object any activity which is punishable under section 153A or section 153B of the Indian Penal Code (45 of 1860), or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or of which the members undertake any such activity;*

Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir;”

46. The NSCN(K) has indulged in both the unlawful activities defined under sub clauses (i) and (ii) of Section 2(p) of the Act. Its purpose is unlawful because each of the activities discussed hereinabove would be punishable under the provisions of Section 2(p)(i) and (ii) of the Act. It is not in doubt that disaffection signifies political alienation or discontent, a sense of feeling of disloyalty towards the existing Government; the feeling lends to a disposition of not to obey, but to resist and subvert the Government¹. “Sovereignty” has been defined by the Supreme Court in *Union of India & Ors. v. Sukumar Sengupta & Ors.* 1990 AIR 1692, and the same is reproduced as under:

¹ Binoy Kumar Chattopadhyaya, AIR (37) 1950 Calcutta 444

“ ‘Sovereignty’ has been defined as “the supreme Authority” in an independent political society. It is essential, indivisible and illimitable. However, it is now considered and accepted as both divisible and limitable. Sovereignty is limited externally by the possibility of a general resistance- Internal sovereignty is paramount power over all action, and is limited by the nature of the power itself.”

47. According to the Constitution of India, India is a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic. The territory of India is to be protected. The Preamble to the Constitution of India which promises *inter alia* : “Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation,” therefore, any action in the realms where the Constitution of India extends will have to be imbued with the spirit of fraternity apropos the unity and integrity of the nation. The unlawful activities indulged in by the banned organisation are not only against the statute but also threaten this unity and integrity of the nation and to cause disaffection against India. Hence it has rightfully been sought to be curbed and banned by the Government of India. The geographical limits of the States of India are to be demarcated in terms of the Constitution and the laws in that regard. The NSCN(K) seeks secession of parts of India or its dismemberment for the sake of formation of a sovereign state of Nagaland; its avowed action against the integrity of India challenges the sovereign realm of the Indian Republic.

48. The evidence led by the deponents shows sufficiently that the banned organisation NSCN(K) is indulging in extensive and consistent unlawful activities pertaining to the extortion, ambush on security personnel, as well as possession of illegal arms in the States of Nagaland, Manipur and Arunachal Pradesh for secession of parts of India. The indulgence in unlawful activities by the banned organisation thus stands proved.

Decision

49. In view of the sufficient and convincing evidence on record, the Tribunal is of the view that there is enough reason for declaring the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) an unlawful association and accordingly, the Tribunal confirms the notification dated 28.09.2015, issued by the Government of India banning the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN (K)] for a period of five years with effect from the date of the aforesaid notification.

18th March, 2016

NAJMI WAZIRI, J.
PRESIDING OFFICER
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL